(20)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–2

सेवा में,

1– कुलपति, – अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–2

2– प्रमुख सचिव वित्त, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3– सचिव उच्च शिक्षा, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4– सचिव कृषि, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5– कृषि निदेशक, – सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6– निदेशक पशुपालन, – सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7– डा0 मंगला राय, – सदस्य
उप महानिदेशक (सी0एस0),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

8– डा0 हरिगोविन्द सिंह, – सदस्य
ग्राम–पूरे बने भदौरिया,
डा0–कौन्हरा, सुल्तानपुर ।

9– श्री बालचन्द्र मिश्र, विधायक, – सदस्य
105, म0आ0 वर्ग, केशवनगर
डब्लू ब्लाक, जूही, कानपुर ।

10–श्री राम आसरे सिंह कुशवाहा, विधायक, – सदस्य
127/809, डब्लू ब्लॉक, केशवनगर, कानपुर ।

11–श्री शीतल कुमार बेस, – सदस्य
माडल डेरी एवं कैटिल ब्रीडिंग फार्म,
नारामऊ, जी0टी0 रोड, कानपुर ।

12–डा0 अजय कुमार अवस्थी, – सदस्य
541/4, न्यू रायगंज, सीपरी बाजार, झांसी ।

13–श्रीमती संतोष कश्यप, – सदस्य
एच–3, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार ।

संख्या:सीएसयूपी/सी– 158-70 /बोर्ड–106 दिनांक:जनवरी 19 ,1998

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत 6–1–1998 को कानपुर में सम्पन्न हुई 106वीं बैठक की कार्यवाही आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,

(जे0एन0 रैना)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 106वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान- कुलपति महोदय का सभाकक्ष, कानपुर दिनांक: जनवरी 06, 1998

समय: 11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति:

1-	डा0 राम लाल, कुलपति	-	अध्यक्ष
2-	श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, विशेष सचिव,कृषि	-	कृषि सचिव के प्रतिनिधि
3-	डा0 आर0के0एस0चौहान, निदेशक कृषि	-	सदस्य
4-	डा0 एस0 जी0 सिंह	-	सदस्य
5-	श्री राम आसरे सिंह कुशवाहा,राज्य मंत्री एवं विधायक	-	सदस्य
6-	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	-	सदस्य
7-	श्री एस0 के0 बैस	-	सदस्य
8-	श्री जे0 एन0 रैना, अर्थ नियंत्रक	-	सचिव

मद संख्या-1 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 11.09.1997 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्तिका अनुमोदन ।

मद संख्या:3 डा0 आर0बी0सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री सांइस को दिनांक 6.7.96 से 2 वर्ष अथवा इससे पूर्व सेवा निवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ।

डा0 आर0 बी0 सिंह के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि उन्हे 10 दिन के अन्दर ज्वाइन करने के लिये निर्देश दिये जाये। यदि वे इस अवधि के अन्दर ज्वाइन नही करते है तो उनकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही की जाये। इस आशय का पत्र डा0 सिंह को सीधे भेजा जाये जिसकी प्रति सचिव कृषि/क्षेत्रीय विकास विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाये कि वे अपने स्तर से उन्हें अवमुक्त करायें। इसकी कार्यवाही कुलपति एवं सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में शासन को जो पत्र दिनांक 18.10.1997 को भेजा गया है। जिस अधिकारी/कर्मचारी के कारण पत्र भेजने में विलम्ब हुआ उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। कार्यवाही कुलपति महोदय स्वयं करेंगे।

मद संख्या: 4 डा0 एम0 साबिर, आचार्य, फर्माकोलाजी, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को स्वास्थ्य मंत्रालय, कुवैत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव

डा0 एम0 साबिर, आचार्य, फर्माकोलाजी को 2 वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद यह तथ्य उजागर हुआ कि तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रबन्ध मण्डल के अधिकार में हस्तक्षेप किया गया और प्रबन्ध मण्डल की अनुमति प्राप्त किये बिना डा0 साबिर को कुवैत जाने हेतु स्वीकृति देकर ऐसा गम्भीर निर्णय लिया जिससे प्रबन्ध मण्डल के सामने एक असमंजस पूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करके प्रबन्ध मण्डल ने डा0 साबिर को 2 वर्षो का असाधारण अवैतनिक अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि भविष्य में इस प्रकार की स्वीकृतियाँ प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी न की जाये और डा0 साबिर को इस निर्णय की सूचना भेज दी जाये कि वे 2 वर्ष के अवकाश के पश्चात विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत करें।

क्रमशः : 2 पर

मद सं0: 5 कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ न हो पाने के कारण उत्पन्न समस्या पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय को प्रेषित पत्र सं0 CSU H-7556/A/96 दिनांक 11·12·1997 को पुनः प्रबन्ध मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के मध्य यह तथ्य सामने आया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार सभी तथ्यों का समावेश न करते हुये संशोधित पत्र कुलाधिपति महोदय को नहीं भेजा गया है। इसी के फलस्वरूप कुलाधिपति महोदय का निर्णय 21·11·1997 को प्राप्त हो गया। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही पर घोर चिन्ता व्यक्त की और अन्त में निर्णय लिया गया कि सभी तथ्यों को समावेशित करते हुये संशोधित पत्र महामहिम कुलाधिपति महोदय को यथाशीघ्र भेज दिया जाये और उसकी प्रति कृषि सचिव, कृषि अनुभाग-8 को भी भेज दी जाये।

मद संख्या-10

पूरक-1 : प्रबन्ध मण्डल की 99वीं बैठक दिनांक 6·12·1995 मद संख्या पूरक-1 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु गठित समिति को पुर्नगठित किये जाने के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना ।

इस विषय पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि 99वीं बैठक के अनुपालन में जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे भंग करके सम्पूर्ण प्रकरण शासन को इस अनुरोध के साथ संदर्भित कर दिया जाये कि शासन दो माह के अन्दर अपना निर्णय देने की कृपा करें। कुलपति एवं अध्यक्ष स्वयं इस प्रकरण का अनुपालन देखेंगे ।

पूरक-2 : सहायक अभियन्ता वर्कशाप तथा एक्सटेंशन वेतनमान रु02200-4000 का पद सहायक अभियन्ता, विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स वेतनमान रु02200-4000 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

पूरक-4 : विश्वविद्यालय में सृजित नेमेटेलाजिस्ट के पद को सहायक प्राध्यापक (टिशूकल्चर) के पद में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव ।

पूरक-5 : विश्वविद्यालय मे सृजित आयल केमिस्ट के पद को सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर) के पद में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय पर पुष्टि प्रदान कर दी तथा पुनः यह निर्णय लिया गया कि यदि उपरोक्त पदों की आवश्यकता न हो तो विभागाध्यक्ष की संस्तुति प्राप्त कर पद समाप्त करने की कार्यवाही की जाये ।

पूरक-3 : डा0 मौती सिंह, सह प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग को दिनांक 1·5·94 से 31·5·96 तक की अवधि के वेतन भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय सदस्या श्रीमती कश्यप से प्राप्त जाँच आख्या पर कुलपति महोदय अपना मत व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

पूरक-7 : शासनादेश संख्या-840/12-8-400(19)/84 दिनांक 10·9·84 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेडपाये सहायक प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव ।

इस प्रकरण पर कुलपति महोदय ने महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित चयन समिति से संस्तुत विभिन्न विभागों के सहायक प्राध्यापकों/सह-प्राध्यापकों को पदनाम दिये जाने सम्बन्धी

क्रमशः 3 पर

लिफाफे को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया ।

विचार-विमर्श के दौरान पदनाम किये जाने सम्बन्धी शर्तों में उपरोक्त शासनादेश के आलोक में सर्वसम्मति से यह स्पष्ट निर्णय लिया गया कि समस्त लिफाफे खोल लिये जायें एवं चयन समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों को पदनाम किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पदनाम किये जाने सम्बन्धी आदेशों में उपरोक्त शासनादेश की शर्तों का उल्लेख हो। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदनाम प्रभावी होंगे एवं अध्यापकों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा निर्धारित होगी ।

प्लान्ट फिजियोलाजी विभाग के सम्बन्ध में चयन समिति से प्राप्त प्रस्ताव को नियमानुसार न होने के कारण अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि कुलपति महोदय महामहिम कुलाधिपति से शीघ्र चयन समिति गठित करने का अनुरोध करें और इस विभाग के अध्यापकों को भी पदनाम किये जाने की प्रक्रिया पर शीघ्र अमल करें ।

मद सं0 2- शैक्षिक पदों पर विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय-13(9) के अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि त्रुटिपूर्ण विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में अधिनियंत्रक अपने स्तर से जाँच करके कुलपति जी को 15 दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें ।

मद सं0- 3: विज्ञापन सं0-6/96 पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के बन्द लिफाफे एवं की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विचार ।

मद सं-4: विकास भवन, कानपुर नगर हेतु एक एकड़ अतिरिक्त भूमि हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव ।

मद सं0-5: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय पर पुष्टि प्रदान की ।

मद सं0-6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक-1 : सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने के माह में अन्तिम दिनांक को सेवा निवृत्त किया जाना

प्रबन्ध मण्डल ने पुष्टि प्रदान की ।

पूरक-2 : श्री पी0 एन0 द्विवेदी, फिल्मोग्राफिक सहायक को आदेश संख्या-सीएसयूपव-6212/97 दिनांक 13.2.1997 द्वारा दी गई प्रोन्नति की वैधता पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वस्तुस्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सम्बन्धित अधिकारी को आगामी बैठक में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि यदि प्रोन्नति प्राप्त व्यक्ति प्रोन्नति की अर्हता नहीं रखता है तो उस सन्दर्भ में पूर्ण आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

पूरक-3 : कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री चतुर सिंह एवं श्री ज्ञान सिंह का विश्वविद्यालय सेवा में समायोजन किये जाने के विरुद्ध शिकायत पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय की पुष्टि की।

क्रमशः 4 पर

मद सं0–2 : वित्त उप समिति की दिनांक 14–07–1997 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही पर विचार ।

वित्त उप समिति की दिनांक 14–07–1997 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही पर विचार के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर विचार अगली बैठक में किया जायेगा ।

मद सं0–3 : डा0 राम नाथ, सह–प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान के कुलपति के पदपर नियुक्ति होने के फलस्वरुप दिनांक 07–07–1997 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने तथा धारित पद पर 3 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय की पुष्टि की ।

मद सं0–4 : नेशनल सीड प्रोडक्शन योजना को सुचारु रुप से चलाने हेतु उचित व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया एवं सम्बन्धित अधिकारियों का पक्ष भी सुना । प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि आगामी बैठक में सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम (ब्रीडर सीड, फाउन्डेशन सीड, प्रमाणित बीज) के उत्पादन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कुलपति जी अपनी विस्तृत आख्या प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्या विश्वविद्यालय में निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) का पद सृजित हैं आथवा नहीं । इस पर भी आख्या प्रस्तुत की जाये । निदेशक शोध द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर रु0 80.00 लाख की जो राशि आई0सी0ए0आर0 को सरेन्डर हुई है, उसकी जांच करके एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करके आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि सह–निदेशक शोध की नियुक्ति कुलपति जी द्वारा की जा चुकी है, अतः उन्हें निदेशक शोध से सम्बध्द कर दिया जाये ।

मद सं0–5 : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन शोध परियोजना का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि चूँकि आई0सी0ए0आर0 ने इस योजना को स्वीकृत नहीं किया है, अतः इस प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष लाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

मद सं0–6 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक–1 : वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरें पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय दिया कि शासन से बढ़ी हुई दरों के आधार पर धनराशि की मांग की जाये ।

पूरक–2 : प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक के मद संख्या–58:एस–14 दिनांक 19–10–85 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदत्त अवकाश नकदीकरण की सुविधा को शासन के पत्रांक–1808/12–8–1506/95 दिनांक 14–3–1997 द्वारा किये गये अतिक्रमण से अवमुक्त रखने के अनुमोदन का प्रस्ताव ।

शासन के आदेशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया ।

पूरक–3 : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वाहन चालकों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में लिये गये विशिष्ट निर्णय के अन्तर्गत कृषि विभाग के वाहन चालकों की भाँति वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव ।

उक्त प्रकरण को शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया ।

---5

पूरक–4 : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वाहन चालकों को जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनांक में भी सरकारी कार्य करना पड़ता है, उन्हें उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्ताव ।

उक्त प्रकरण को शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया ।

दिनांक 11–09–1997 की 104वीं बैठक में दिये गये अन्य निर्देश :

1– बैठक के निर्णयों पर यदि सदस्य का पत्र प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुये उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों की प्राप्ति की स्वीकृति निश्चित रुप से भेजी जाय ।

2– सदस्यों की बैठक की सूचना एवं सामग्री समय से उपलब्ध करा दी जाये और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3– बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव, लिया गया निर्णय एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराया जाय । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुपालन सम्बन्धी जो भी टिप्पणी दी जाती है, उसका विस्तृत विवरण होना चाहिये तथा उसकी पत्रावली भी मीटिंग में रहनी चाहिये ।

4– विश्वविद्यालय के अभिलेखों का रख–रखाव सुचारु रुप से सुनिश्चित किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कड़ा सरकुलर जारी किया जाय जिसमें यह उल्लिखित हो कि यह प्रबन्ध मण्डल के आदेशों के परिपालन में किया जा रहा है । भविष्य में इसमें कोई ढिलाई पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द कार्यवाही की जायेगी ।

5– प्रबन्ध मण्डल की बैठक होने के पूर्व सभी विभागाध्यक्षों से आवश्यक प्रस्ताव मांगे जाये और उनके साथ मीटिंग करके प्रस्ताव पर डिस्कस करके प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जाय तथा उसके अनुपालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को सौंपी जाय ।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने का निर्देश दिया गया ।

6– 102वीं बैठक जिसमें कृषि रसायन, मृदा, शस्य विज्ञान तथा उद्यान विभाग के सह–प्राध्यापकों/प्राध्यापकों को पदनाम दिये जाने का जो निर्णय लिया गया था, की पुष्टि प्रबन्ध मण्डल ने नहीं की किन्तु प्रबन्ध मण्डल की 103वीं बैठक में उसकी पुष्टि का अंकन नहीं किया गया अतः प्रबन्ध मण्डल की 104वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इन विभागों के सह–प्राध्यापकों/प्राध्यापकों के पदनाम दिये जाने के प्रस्ताव के बारे में निर्णय लिया गया कि इन्हें भी बाद में नियमित रुप से चयन किये गये शिक्षकों के लिफाफों के साथ प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय तथा 161 शिक्षकों को जो पदनाम दिये गये हैं, उन्हें निरस्त किया जाय तथा सम्बन्धित शिक्षकों को तदनुसार सूचित किया जाय कि वे उन पदनामों का प्रयोग न करें ।

निर्णय की पुष्टि की गयी ।

7– विश्वविद्यालय के पेंडिंग कोर्ट केसेज के बारे में निम्न प्रारुप पर सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

वाद सं0 एवं विवरण	वाद का वर्ष	क्या स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है	विश्वविद्यालय अधिवक्ता का इस सम्बन्ध में प्रयास
1	2	3	4

अगली बैठक में पूर्ण विवरण रखे जाने का निर्देश दिया गया ।

8– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को ही बनाया जाय परन्तु यह प्रक्रिया उन वैज्ञानिकों/प्राध्यापकों पर नहीं लागू होगी, जो स्वतन्त्र रुप से किसी योजना के प्रभारी या नियन्त्रक हों ।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पूर्ण विवरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

9– इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि एस0टी0डी0 की सुविधा निम्न अधिकारियों को ही उपलब्ध करायी जाय । यह सुविधा केवल कार्यालय में रहेगी ।
1– अर्थ नियन्त्रक 2– निदेशक शोध 3– निदेशक प्रसार 4 कुलसचिव 5– अधिष्ठाता, कृषि अभियन्त्रण इटावा 6– अधिष्ठाता, पशुपालन मथुरा ।

अधिष्ठाता, कृषि संकाय को भी कार्यालय में एस0टी0डी0 टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय ।

---6

10- पेट्रोल एवं डीजल की कीमतोंमें वृध्दि को दृष्टिगत रखते हुये मितव्ययता की दृष्टि से निम्नलिखित अधिकारियों को ही वाहन आवंटित किया जाये -
(1) अर्थ नियन्त्रक (2) निदेशक शोध (3) निदेशक प्रसार (4) अधिष्ठाता, कृषि संकाय (5) कुलसचिव (6) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (7) निदेशक निर्माण (8) अधिष्ठाता, कृषि अभियन्त्रण (9) अधिष्ठाता, पशुपालन संकाय, मथुरा ।

उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त सभी गाड़ियां पूल कर ली जाये और मांग पत्र प्राप्त होने पर अन्य अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये ।

11- यदि होम साइंस का अध्यक्ष प्लान्ट ब्रीडर हो तो उसे वहां से हटाया जाय और उसके स्थान पर होम साइंस से सम्बन्धित विषय के प्राध्यापक को ही विभागाध्यक्ष बनाया जाय ।

बैठक के उक्त निर्णय की शर्तों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया ।

12- होम साइंस विभाग के वर्तमान लिपिक को हटाया जाय ।

अनुपालन हो गया जिसकी पुष्टि हो गयी ।

13- प्रेस मैनेजर एवं लाइब्रेरियन के प्रोन्नति से सम्बन्धित प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि उनकी पत्रावली माननीय सदस्य श्री वैश्य जी को टिप्पणी हेतु भेजी जाय ।

अनुपालन किया गया । प्रबन्ध मण्डल को आगामी बैठक में कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराया जाये ।

14- प्रबन्ध मण्डल की 23-5-97 की बैठक में मद सं0-2 के संदर्भ में लिये गये निर्णय जिसकी पुष्टि वर्तमान बैठक में की जा चुकी है, के संदर्भ में कुछ सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की कि कुलपति की अनुमति से इस प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल की 23-5-97 की बैठक में मद सं0-2 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय जिसकी पुष्टि भी की जा चुकी है, के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे प्रकरण को सम्यक विचारार्थ महामहिम कुलाधिपति महोदय एवं शासन को संदर्भित कर दिया जाये तथा आवेदकों से प्राप्त प्रत्यावेदनों को भी प्रकरण के साथ भेजा जाये ।

15- प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगमी बैठक 15 दिन के अन्दर कानपुर नगर में की जाये ।

निर्णय की पुष्टि की गयी ।

मद सं0-2 : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 11-09-1997 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

कृत कार्यवाही नोट की गयी ।

मद सं0-3 : <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।</u>

1- मशरुम विकास, प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विचार ।

2- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत "Integrated Nutrient Management Sustained Soil Productivity." नामक तदर्थ योजना का विश्वविद्यालय के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में प्रारम्भ करने पर विचार ।

3- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित " Development & Characterisation of double purpose linseed varieties for fibre yield & quality" नामक तदर्थ योजना विश्वविद्यालय में तिलहन अनुभाग में प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार ।

4- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित राई-सरसों "Increasing '0' and '00' quality rapeseed Mustard Production through on Farm Demonstration & Training" नामक तदर्थ योजना को विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक तिलहन अनुभाग में चलाने का प्रस्ताव ।

5- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित कपास परियोजनाओं में चार रिसर्च एसोसियेट की नियुक्ति पर विचार ।

---?

6- भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत दो परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु ।

7- कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यकी विभाग के अन्तर्गत डा0 गुलाब नाथ सिंह, कृषि अर्थशास्त्री एवं डा0 रमाकान्त सिंह द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र नीति शोध केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजना को लागू करने एवं चलाने हेतु प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त योजनाओं/परियोजनाओं को विश्वविद्यालय में चलाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया और योजनाओं की औपचारिक स्वीकृति का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये -

1- यह निर्णय लिया गया कि शासन को निदेशक, प्रशासन एवं मानीटरिंग के पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति हेतु लिखा जाये एवं इस पद पर शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने तक किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त किया जाये ।

2- पेंशन, फण्ड आदि के पुराने प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जायं और उसकी आख्या एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जाये । इसकी समीक्षा माननीय सदस्य श्री एस0के0 वैश स्वयं करेंगे । निर्देश का समय से अनुपालन न करने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुध्द दण्डात्मक कार्यवाही की जाये । प्रबन्ध मण्डल ने डा0 ओ0एस0 जौहरी डा0 एम0 वेलिंग्टन तथा डा0 डी0सी0 कुलश्रेष्ठ के पेंशन, फण्ड आदि के प्रकरण को 5-2-1993 तक निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश दिये ।

3- **"तहसील दिवस"** पर विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी कृषकों को कृषि सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें ।

4- विश्वविद्यालय में रिक्त समस्त पदों को विज्ञापित करके भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये ।

5- विश्वविद्यालय स्टाफ की एक डायरेक्ट्री बना ली जाये जिसमें प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों का भी उल्लेख रहे ।

6- श्री टी0सी0 मिश्रा के वेतनमान के प्रकरण पर कुलपति जी आगामी बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करें

7- डा0 सूरज भान, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध की बीमारी के कारण हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रकरण नियमानुसार निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश दिये ।

8- श्री मनोज कटियार की नियुक्ति को निरस्त करने के प्रकरण पर कुलपति महोदय आगामी बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

9- विश्वविद्यालय का बंगला नं0-8 के आवंटन को अनुमोदित नहीं कियागया और निर्देश दिया कि आवंटन निरस्त करके उसे वरिष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को आवंटित कर दिया जाये ।

10- प्रबन्ध मण्डल ने प्रत्याशा में पारित किये गये आदेशों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और निर्णय लिया कि भविष्य में नियमों एवं परिनियमों से इतर प्रत्याशा में कोई भी आदेश निर्गत न किया जाये ।

11- प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों पर अर्थ नियन्त्रक अपनी टिप्पणी दें और यदि प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित प्रकरण हो तो उस विभाग की टिप्पणी आवश्यक है।

12- प्रबन्ध मण्डल के सामने यह तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय तथा इसके संकायों में अधिकारी/कर्मचारी की सम्बध्दता अधिक मात्रा में है, परिणामस्वरुप विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अतः प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सम्बध्दता के समस्त मामलों को तुरन्त निरस्त किया जाये और सम्बध्द अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल नियुक्ति स्थान पर आदेश निर्गत होने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें तथा उन्हें इस माह का वेतन मूल नियुक्ति स्थान से ही दिया जाये । इस संदर्भ में पारित आदेश की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों को तत्काल अनुपालन हेतु दी जाये तथा पूर्ण विवरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

---8

13- प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने इस विषय पर अत्यन्त क्षोभ प्रकट किया कि प्रबन्ध मण्डल का निर्णय न तो ठीक से अंकन किया जाता है और न ही निर्णय का सामयिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रबन्ध मण्डल के सचिव ने इस बात पर प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय का अंकन सुचारु रुप से किया जा रहा है और यह आशंका व्यक्त की कि प्रथम बैठक होने के कारण संभवतः अंकन में कोई त्रुटि रह गयी होगी । इसके लिये उन्होंने खेद प्रकट किया । अध्यक्ष तथा सचिव ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

समयाभाव के कारण पूर्व बैठक में क्रम सं0 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 व 16 पर उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर विचार न हो सका ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी । बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई ।

(जे0एन0 रैना)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

(राम नाथ)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल